


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक- 6-2-18


संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0- 1749 / दिनांक 16.02.2018 से 19.02.2018 तक आयोजित राष्ट्रमंडल संघ-भारत प्रक्षेत्र का छठा सम्मेलन में आगन्तुक महानुभावों के समन्वय के लिए संपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु विभागीय आदेश सं0-1209 दिनांक 24.01.2018 के द्वारा प्रतिनियुक्त श्री तारानन्द महतो वियोगी, बि0प्र0से0, उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना एवं श्रीमती मीना कुमारी, बि0प्र0से0 उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्रीमती कनकवाला, बि0प्र0से0, को0क0-1004/11, विशेष कार्य पदाधिकारी (उप सचिव स्तर में उत्कमित), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अरिबलेश कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को0 क0 871/11, उप सचिव (अपने वेतनमान में) पिछड़ावर्ग एवं अतिपिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, पटना को दिनांक 16.02.2018 से 19.02.2018 तक आयोजित राष्ट्रमंडल संघ-भारत प्रक्षेत्र के छठे सम्मेलन में आगन्तुक महानुभावों के समन्वय के लिए संपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना के अधीन प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

2. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पटना के दिशा-निर्देश के अनुसार आयोजित अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में भाग लेंगे और कार्य संपादन करेंगे तथा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वतः अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान कर लेंगे ।


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0- 1749/पटना, दिनांक- 6-2-18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव